न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाई जिला टोंक

(डा.नीलम मीणा आर.ए.एस. सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक)निवाई द्वारा अध्यासित)

GCMS NO:– 2018/00119
दावा संख्या :– 27/18
निर्णय दिनांक:– 07.04.2022

1. प्यारेलाल पुत्र लक्ष्मण जाति बैरवा निवासी बैरवा ढाणी सीन्दरा तह. निवाई जिला टोंक

–वादी

उनवान

1. दरगाई पुत्र रहीमा जाति बन्जारा मुसलमान निवासी सोपरा ढाणी खिडगी तहसील निवाई जिला टोंक राज.
2. राजू पुत्र दरगाई जाति बन्जारा मुसलमान निवासी सोपरा ढाणी खिडगी तहसील निवाई जिला टोंक राज.
3. बदरू पुत्र दरगाई जाति बन्जारा मुसलमान निवासी सोपरा ढाणी खिडगी तहसील निवाई जिला टोंक राज.
4. जमाल पुत्र दरगाई जाति बन्जारा मुसलमान निवासी सोपरा ढाणी खिडगी तहसील निवाई जिला टोंक राज.
5. तहसीलदार निवाई जिला टोंक राज.

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा एवं आज्ञापक व्यादेश

उपस्थितः–1. श्री बनवारी लाल यादव वादी अधिवक्ता
2. एकतरफा कार्यवाही की गई

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि वादी के खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि ख.नं. 756/1 रकबा 02–07 बीघा ख.न. 796/38 रकबा 02–17 वाके ग्राम सिन्दरा तहसील निवाई में दर्ज रिकॉर्ड है। जिस पर वादी काबिज काश्त चले आ रहे है। वादी की उपरोक्त भूमि के सटवा प्रतिवादीगण की भूमि स्थित हाने का नाजायज फायदा उठाकर वादी को जबरन परेशान कर भूमि को बौने जोतने मे बाधा उत्पन करने की धमकी देते है। जिसका प्रतिवादीगण को कोई वैध अधिकार नही है। इस कारण प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की वादग्रस्त भूमि में वादी को बौने जोतने में किसी प्रकार की बाधा मजाहमत आदि नही करावें। प्रतिवादीगण को जरिये आज्ञापत्र व्यादेश आदेश दिया जावें कि दौराने दावा वादी की भुमि के किसी भाग एवं हिस्से को दबाकर अतिकमण कर लेते है तो उसे प्रतिवादीगण के खर्चे से स्वतंत्र कराया जावे। अतः प्रतिवादीगण को बाबत स्थायी निषेद्याज्ञा की डिकी सादर

सहायक कलेक्टर
(फास्ट–ट्रेक) निवाई

Scanned with OKEN Scanner

फरमाया जावें कि वादी की उपरोक्त खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भुमि में किसी प्रकार की बाधा मजाहमत नही करें।

दावा पेश होने पर वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादी की गई। प्रतिवादीगण बाद तामिल अनुपस्थित रहने के कारण प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। वकील वादी की ओर से साक्ष्य पेश नही कर सीधे ही लिखित बहस प्रस्तुत की गई।

पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। संलग्न जमाबंदी सवंत 2072–75 ग्राम सीन्दरा के अनुसार वादी भूमि वादग्रस्त का खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहें है। इससे स्पष्ट है, कि वाद वादी स्वीकार किया जाने में उन्हें कोई आपत्ति नही है। ऐसी स्थिति में न्यायालय वाद वादी स्वीकार करना उचित समझता है तथा प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वादी की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नहीं करें, तथा भूमि को दबाने व हथियाने कि चेष्टा नही करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.04.2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

7/4/22

(डॉ0 नीलम मीणा)
सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक)
निवाई

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक) निवाई जिला टोंक

(डॉ. नीलम मीणा, आर.ए.एस. सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक) निवाई द्वारा अध्यासित)

(डिकी मुकदमा इब्तदाई)

दावा संख्याः– 27 / 2018

निर्णय दिनांकः–07.04.2022

उनवान

प्यारेलाल बनाम दरगाई वगै0

दावा बाबत उद्घोषणा एवं खातेदारी दुरूस्थी इन्द्राज स्थायी निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू डॉ. नीलम मीणा ब हाजरी श्री बनवारी लाल यादव वकील वादी मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि संलग्न जमाबन्दी सवंत 2072–75 ग्राम सीन्दरा के अनुसार वादी वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार है अत प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादी की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नही करे तथा भूमि को दबाने व हथियाने की चेष्टा नही करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 07 माह 04 सन् 2022 को जारी की गई।

7/4/22

सहायक कलेक्टर

(फास्ट ट्रेक), निवाई

Scanned with OKEN Scanner